

**कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत**  
**पत्रांक- / 26-1, पीलीभीत, दिनांक 20/08/2016**

**निविदा सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, की ओर से सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत की बीसलपुर रोज अन्तर्गत पीलीभीत-बीसलपुर मार्ग कि0मी0 15-23 तक त्रिशगकों के निर्माण में प्रयोगार्थ द्वितीय श्रेणी की ईटों/पलाई एश ईटों की आपूर्ति हेतु इच्छुक निविदा दाताओं से सीलबन्ध निविदा दिनांक- 26.08.2016 के साथ 3.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है जो उन्ही दिन सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष अधोहस्ताक्षरी अध्यक्ष मनोनीत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। परन्तु समाचार पत्रों में समय से निविदा सूचना की विज्ञापित प्रकाशित न होने के कारण से अब निविदा को दिनांक- 06.08.2016 के साथ 3.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है जो उन्ही दिन सायं 4.00 बजे निविदा दाताओं के समक्ष अधोहस्ताक्षरी अध्यक्ष मनोनीत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। निविदा दाताओं को अवगत कराना है कि निविदा स्वीकार/अस्वीकार/निरस्त करने के अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

कार्य का नाम	जमानत धनराशि	निविदा मूल्य	आपूर्ति की मात्रा	समयी आपूर्ति की अवधि
1	2	3	4	5
द्वितीय श्रेणी की ईटों / पलाई-एश ईटों	10000.00	100.00	लगभग 78800	30.09.2016 तक

**शर्तें-**

1. निविदा के साथ बन्धक धनराशि एक0डी0आर20/ड्राफ्ट के रूप में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत के पदनाम से संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदा केवल रजिस्टर्ड डाक से दिनांक-06.08.2016 को सायं 03.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी।
3. आपूर्ति कर्ता को निर्धारित अवधि के अन्दर ईटों / पलाई एश ईटों की आपूर्ति पूर्ण करना होगी।
4. सामग्री की मात्रा घट या बढ़ सकती है।
5. समस्त वेय करों को नियमानुसार कर्ता ही आपूर्ति कर्ता के भुगतान से की जायेगी।
6. बिना जमानत के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. मानक एवं गुणवत्ता प्रत्येक चक्कर में श्रक की जायेगी मानक में कमी प्रकार की कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी उसके सिवा आपूर्ति कर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. द्वितीय श्रेणी ईटों/पलाई एश ईटों की आपूर्ति बीसलपुर रोज अन्तर्गत पीलीभीत-बीसलपुर मार्ग कि0मी0 15-23 तक पर करनी होगी।
9. राजकीय विज्ञान में लिखे गये निर्णय निविदा दाता द्वारा मान्य होंगे।
10. उक्त सम्बन्धी किसी प्रकार के बाद विवाद का निस्तारण स्थानीय स्तर पर मान्य होगा।

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत

पत्रांक 468/26-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, राष्ट्रीय खण्ड जोम, उत्तर प्रदेश, बरेली।
3. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, बरेली जूल, बरेली।
4. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, बरेली जूल, बरेली।
5. उप प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत।
6. जिलाधिकारी, पीलीभीत।
7. समस्त क्षेत्रीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत।
8. अध्यक्ष जिला पंचायत, नोटिस बोर्ड हेतु।
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड।
10. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, पीलीभीत

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत